रेरा के नियमों का पालन करें बिल्डर, प्रोजेक्ट की दें तिमाही रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, जागरण ● पटना: बिहार रेरा ने सभी बिल्डरों और प्रमोटरों को ससमय तिमाही रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही रेरा के आदेशों एवं अनुपालनों का भी पालन करने को कहा गया है। बिहार रेरा की ओर से एक अक्टूबर, 2024 से 31 मार्च, 2025 के बीच निबंधित परियोजनाओं के प्रमोटरों के लिए आयोजित कार्यशाला में यह जानकारी दी गई। बिहार रेरा के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य नए प्रमोटरों को मार्गदर्शन देने के लिए आयोजित की गई है, ताकि परियोजनाएं समय पर पूरी हों। इससे पहले प्राधिकरण ने ऐसी परियोजनाओं के प्रमोटरों के लिए कार्यशालाएं आयोजित कीं, जिनका निबंधन निकट भविष्य में ख़त्म होने वाला था।उन्होंने प्रतिभागी प्रमोटरों से कहा कि कोई भी शंका होने पर उन्हें प्राधिकरण से मदद लेनी चाहिए, ताकि अनुपालन करने वाले बिल्डर्स निर्भीक होकर काम कर सकें। रेरा बिहार के जांच आयुक्त संजय सिंह ने प्रतिभागियों को निबंधन के बाद अनुपालनों के विषय में विस्तृत जानकारी दी।